**संख्या-1-2026-377-2026-57-1099-89-2024**

प्रेषक,

**लक्ष्मण राम,**
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

**निदेशक,**
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ : दिनांक 18 फरवरी, 2026

विषय:- **जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1247/ध0का0वि0नि0/2025-26, दिनांक 11.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रभारी इकाई, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर-इकाई, गोरखपुर का पत्र दिनांक 21.01.2026 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की गयी धनराशि रू0 647.40 लाख के सापेक्ष कराये गये 75 प्रतिशत का व्यय सहित उपयोगिता/ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पर संस्तुति प्रदान करते हुए जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत 1294.80 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 647.40 लाख अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-385-57-2025, दिनांक 24.02.2025 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु मूल्यांकित लागत 1294.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 647.40 लाख अवमुक्त किया जा चुका है।

3- इस संबंध में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर-इकाई, गोरखपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव, उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण-पत्र पर प्रदान की गयी संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में भजन संध्या स्थल की स्थापना/निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा मूल्यांकित लागत 1294.80 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 647.40 लाख (रूपये छः करोड़ सैतालिस लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/ कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा नियमानुसार लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(6) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की परीक्षण आख्या/शर्तें संलग्न है।

(9) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(11) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ /कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(12) उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

(13) प्रायोजनान्तीर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर लागत आंकलित की गयी है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो तथा जी0एस0टी0 का भुगतान वास्ताविकता के आधार पर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(14) प्रायोजनान्तर्गत 13774.22 घ0मी0 मिट्टी भराई मात्रा प्रस्तावित की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा गठित तकनीकी समिति रिपोर्ट के अनुसार 10656.75 घ0मी0 मिट्टी भराई अनुमन्य की गयी है। उक्तानुसार प्रभाग द्वारा मिट्टी भराई की मात्रा अनुमन्य की गयी है।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन हेतु रू0 21.23 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है। कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा विद्युत संयोजन हेतु विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय। वाह्य विद्युत संयोजन हेतु प्रभाग द्वारा आंकलित धनराशि तथा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/विद्युत विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के अनुसार वास्तविक धनराशि में अन्तर होने की स्थिति में प्रायोजना को पुन: प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग में परीक्षण कराये जाने की आवश्यहकता नहीं है।

(16) प्रायोजनान्तर्गत डी0जी0 सेट एवं म्यूरल पेन्टिंग का प्रावधान किया गया है। अत: इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पनर्धा के आधार पर दरें प्राप्त कर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त कार्य कराया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत आन्तरिक विद्युतीकरण, आन्तरिक एवं वाह्य जलमल कार्य तथा वाह्य विद्युतीकरण की लागत कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर प्रस्ताि्वत की गयी है। अत: निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व उक्त का विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाये तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(18) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत् मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 का होगा।

(19) प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(20) प्राविधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(21) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय/कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(22) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ/वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार, लखनऊ/वाराणसी से किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,47,40,000 ( रुपये छह करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084, **लेखा शीर्षक-** 4250008001300 उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर स्थित 100 वर्ष से अधिक पुराने मंदिर/मठ/धर्मशाला/ कुण्ड / तीर्थ स्थल का इत्यादि का जीर्णोद्धार / मरम्मत तथा भजन संध्या स्थल / सत्संग स्थल इत्यादि का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**संख्या-1-2026-377-2026-57-1099-89-2024, तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4- जिलाधिकारी, गोरखपुर/लखनऊ/वाराणसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/वाराणसी/गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोरखपुर ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
9-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

लक्ष्मण राम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।